संख्या-150/2025/905316/2025/23-11099(099)/31/2025

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 लखनऊ : दिनांक 12-03-2025

विषय:- प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गो/सेतुओं तथा मार्गो पर प्रवेश द्वार की स्थापना एवं अन्य सौन्दर्यीकरण के कार्य तथा धार्मिक स्थलों को मुख्य मार्गो से जोड़ने हेतु मार्गो के निर्माण, चौड़ीकरण/सुदृढीकरण/सौन्दर्यीकरण योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदो के कुल 27 कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-492नि0/108-01नि0/बरेली/24, दिनांक 14-08-2024, पत्र संख्या-493नि0/116-03नि0/बागपत/24, दिनांक 14-08-2024, पत्र संख्या-494नि0/117-01नि0/सहारनपुर/24, दिनांक 14-08-2024, पत्र संख्या-495नि0/116-03नि0/2024-25, दिनांक 14-08-2024, पत्र संख्या-560नि0/629-01नि0/24-25, दिनांक 30-08-2024, पत्र संख्या-1009नि0/115-01नि0/2024-25, दिनांक 18-09-2024, पत्र संख्या-1434नि0/मार्गो का प्रवेश द्वार/24-25, दिनांक 16-10-2024, पत्र संख्या-1585नि0/148-02नि0/24-25, दिनांक 29-10-2024, पत्र संख्या-1635नि0/प्रवेश द्वार/2024-25, दिनांक 30-10-2024, पत्र संख्या-1692नि0/115-01नि0/प्रवेश द्वार/24-25, दिनांक 08-11-2024, पत्र संख्या-1693नि0/146-01नि0/बलिया/भाग-13/24, दिनांक 10-11-2024 एवं पत्र संख्या-2768नि0/136-01नि0/2024-25, दिनांक 21-01-2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गो/सेतुओं तथा मार्गो पर प्रवेश द्वार की स्थापना एवं अन्य सौन्दर्यीकरण के कार्य तथा धार्मिक स्थलों को मुख्य मार्गो से जोड़ने हेतु मार्गो के निर्माण, चौड़ीकरण/सुदृढीकरण/सौन्दर्यीकरण योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदो में प्रवेश द्वार निर्माण के कुल 27 कार्यो की कुल लागत रू0 5915.90 लाख (रूपये उनसठ करोड़ पन्द्रह लाख नब्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये लागत के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 4732.71 लाख (रूपये सैंतालिस करोड बत्तीस लाख इकहत्तर हजार मात्र) व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0	सी0एम0 आई0एस0 पोर्टल पर पंजीकरण संख्या	जनपद का नाम	कार्य का नाम	लागत	अवमुक्त धनराशि
1	202500003100133	बरेली	जनपद बरेली में बरेली-बागेश्वर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-37) पर उत्तराखण्ड सीमा पर 4 लेन प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य।	131.75	105.40

2	202500003100134	बागपत	जनपद बागपत में प्रदेश के अन्तर्राज्य मार्ग बड़ौत-छपरौली-टाण्डा मार्ग (अ0जि0मा0) पर कुर्डी से हरियाणा राज्य बार्डर की और उत्तर प्रदेश की सीमा पर खोजकीपुर पुल के पास स्वागत द्वार का निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	313.21	250.57
3	202500003100135	सहारनपुर	जनपद सहारनपुर मे प्रदेश के अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले रूड़की अम्बाला (राष्ट्रीय मार्ग-344) मार्ग पर गेट का निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था कार्य।	480.34	384.27
4	202500003100136	बागपत	जनपद बागपत में प्रदेश के अन्तर्राज्य मार्ग मेरठ-बागपत-सोनीपत मार्ग (एन0एच0-334) पर यमुना नदी हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश सीमा पर स्वागत द्वार का निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	201.20	160.96
5	202500003100137	शामली	जनपद शामली में मेरठ करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-709ए0 पर उ0प्र0 एवं हरियाणा सीमा पर प्रवेश द्वार का निर्माण।	295.74	236.59
6	202500003100138	शामली	जनपद शामली में पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-709 ए0डी0 पर उ0प्र0 एंव हरियाणा सीमा पर प्रवेश द्वार का निर्माण।	294.08	235.26
7	202500003100139	मुजफ्फर नगर	जनपद मुजफ्फरनगर में प्रदेश के अन्तर्राज्य मार्ग दिल्ली हरिद्वार मार्ग एन0एच0-334 पर गेट निर्माण कार्य।	202.10	161.68
8	202500003100140	मथुरा	जनपद मथुरा में सौख-बछगांव-कोथरा मार्ग पर दो लेन गेट निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	177.24	141.79
9	202500003100141	मथुरा	जनपद मथुरा में सौंख-कुम्हेर मार्ग पर दो लेन गेट निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	161.68	129.34
10	202500003100142	आगरा	आगरा बाह कचौरा घाट किमी0-81 से जैतपुर कॅला, नन्दगंवा पिनाहट तासौड (राजस्थान सीमा) मार्ग पर प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य।	185.57	148.46
11	202500003100143	आगरा	जनपद आगरा में फतेहपुर सीकरी डाबर खानुआ मार्ग पर प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य।	180.57	144.46
12	202500003100144	प्रयागराज	प्रयागराज रीवा मार्ग एन0एच0-30 किमी0 46 में उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्वागत द्वार का निर्माण कार्य।	253.18	202.54
13	202500003100145	इटावा	जनपद इटावा में बरेली फर्रूखाबाद	283.42	226.74

			इटावा भिण्ड ग्वालियर मार्ग (चैनेज 78.000 पर) पर प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य।		
14	202500003100146	बिजनौर	जनपद बिजनौर में बालावाली किरतपुर नहटौर चान्दपुर फीना मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग सं0-170 डब्लू) पर उ0प्र0 एवं उत्तराखण्ड सीमा पर प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य।	123.85	99.08
15	202500003100147	चन्दौली	जनपद चंदौली में चंदौली-धरौली मार्ग (अन्य जिला मार्ग) दो लेन मार्ग पर गेट निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था कार्य।	129.64	103.71
16	202500003100148	महोबा	जनपद महोबा में महोबा-लौड़ी मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (महोबा-खजुराहो मार्ग) पर गेट का निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	154.19	123.35
17	202500003100149	पीलीभीत	जनपद पीलीभीत में मझोला बिरहनी (भरा पचपेड़ा) चार लेन(अन्य जिला मार्ग) पर अन्तर्राज्यीय सीमा पर प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य।	171.13	136.90
18	202500003100150	ललितपुर	जनपद ललितपुर के अन्तर्राज्यीय/ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले एन0एच0-44 मार्ग(म0प्र0 सीमा) पर प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य।	384.87	307.90
19	202500003100151	ललितपुर	जनपद ललितपुर में अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले कैलगुवां मार्ग(म0प्र0 सीमा) पर प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य।	213.17	170.54
20	202500003100152	ललितपुर	जनपद ललितपुर में अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले ललितपुर महरौनी मार्ग(म0प्र0 सीमा) पर प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य।	213.17	170.54
21	202500003100153	ललितपुर	जनपद ललितपुर में अन्तर्राज्यीय/ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले पाली पीरघाट मार्ग(म0प्र0 सीमा) पर प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य।	213.17	170.54
22	202500003100154	ललितपुर	जनपद ललितपुर में अन्तर्राज्यीय/ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले बार-लडवारी-रमपुरा-कठबर मार्ग(म0प्र0 सीमा) पर प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य।	213.17	170.54
23	202500003100155	मुजफ्फर नगर	पुरकाजी लक्सर हरिद्वार मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग-334ए) मार्ग के कि0मी0 15 (उत्तराखण्ड सीमा) पर स्वागत द्वार का निर्माण कार्य।	161.23	128.98
24	202500003100156	मथुरा	बरसाना ऊँचागॉव सुनहरा मार्ग के किमी0 4 में दो लेन विद पेव्ड शोल्डर	199.98	159.98

			मार्ग की सीमा पर गेट का निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था।		
25	202500003100157	मथुरा	गुन्सारा मार्ग (अ0जि0मा0) के अन्तर्राज्जीय सीमा पर दो लेन गेट का निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था का कार्य	192.83	154.26
26	202500003100158	बलिया	श्रीरामपुर घाट सेतु पहुँच मार्ग (शिवपुर दियर नम्बरी से प्रानपुर) बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा पर प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य।	240.03	192.02
27	202500003100159	देवरिया	कंचनपुर बघौचघाट पकहा मार्ग के किमी0 22 में बिहार बार्डर पर गेट का निर्माण कार्य।	145.39	116.31
			योग	**5915.90**	**4732.71**

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

1- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

2- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

3- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

5- अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25-01-2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक 1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट कर जमा की जायेगी।

6- लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

7- मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।

8- विभागीय प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का पूर्णतय: अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

9- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2021/बी-2-96/दस-221-10/99, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन गठन

करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर विचार नहीं किया जायेगा।

10- प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 अलग से सम्मिलित न हो।

11 यह सुनिश्चत किया जाय कि परियोजना में प्रस्तावित कार्य विभागीय नियमों/मानक के अन्तर्गत है।

12- परियोजनाओ को समयान्तर्गत पूर्ण करना व तथा भविष्य में परियोजना का पुनरीक्षण न किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

13- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

15- कतिपय परियोजनाएं राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रस्तावित की गयी है। अत: इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य को प्रारम्भ किए जाने से पूर्व एन0एच0 से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक अनापत्तियाँ प्राप्त की जाय।

16- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति (डुप्लकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था/विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

17- परियोजनाओं से सम्बन्धित समस्त तकनीकी पक्षों/तथ्यों व उनके परीक्षण/सत्यापन तथा इस परियोजना के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियंता(सेतु), लोक निर्माण विभाग का होगा।

18- परियोजनाओं की लागत व समय सीमा में बढोत्तरी न हो, इस हेतु परियोजना के निर्माण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा एवं माह में कम से कम एक बार समीक्षा विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

19- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04-03-2024 एवं यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19-6-2024 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

20- लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21- सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17-05-2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19-05-2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तो का अक्षरश: अनुपालपन सुनिश्चित किया जायेगा।

22- उपरिलिखित सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

23- प्रश्नगत परियोजनाएं सी0एम0आई0एस0 पोर्टल का पंजीकृत है, जिनका पंजीकरण संख्या उपरोक्त तालिका मे अंकित है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 47,32,71,000(रूपये सैंतालिस करोड बत्तीस लाख इक्हत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक-5054043371349 प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गो/सेतुओं तथा मार्गो पर प्रवेश द्वार की स्थापना एवं अन्य सौन्दर्यीकरण के कार्य तथा धार्मिक स्थलों को मुख्य मार्गो से जोड़ने हेतु मार्गो के निर्माण, चौड़ीकरण/सुदृढीकरण/सौन्दर्यीकरण का कार्य की व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8- 795-X-2024-25, दिनांक 04-03-2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
10- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन|
12- राज्य योजना आयोग- 1/2, उ0प्र0 शासन ।
13- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन ।
15- नोडल अधिकारी (ऑन लाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन|
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।